

डॉ अंजना सिंह V.I संकलन संचालक लोक शिक्षण रीवा ५०५०

पीठासीन : राहुल सिंह, राज्य सूचना आयुक्त

A -3838/REWA/2019

आदेश
दिनांक 26/02/2021

1. आयोग द्वारा फोन पर नियत सुनवाई दिनांक 09/02/2021 में अपीलार्थी डॉ अंजना सिंह, श्री एनो डॉ द्विवेदी तत्कालीन पीआईओ/संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण रीवा (वर्तमान में सहायक संचालक लोक शिक्षण रीवा) एवं श्री के० पी० तिवारी वर्तमान पीआईओ/संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण रीवा उपस्थित रहे।
2. प्रकरण में अपीलार्थी डॉ अंजना सिंह द्वारा सुनवाई में व्यक्त किया गया कि मेरे द्वारा आरटीआई आवेदन दि० 14/02/2019 से संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण रीवा से निम्न 3 बिंदुओं की जानकारी चाही गयी थी :-
 1. नर्बदा मेमोरियल पब्लिक स्कूल, सेमरिया रीवा, म0प्र० dis code : 23140402030 जो कि वार्ड कमांक -6 सेमरिया में संचालित है, के वर्ष 2018-19, 2019-20 के मान्यता संबंधी प्रस्तुत किये गये समस्त अभिलेखों की सत्यापित प्रति।
 2. मान्यता जांच दल द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन की सत्यापित प्रति।
 3. उक्त विद्यालय संचालन हेतु भूमि, भवन संबंधी समस्त दस्तावेजों की सत्यापित प्रति।

लोक सूचना अधिकारी, संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण रीवा द्वारा पत्र दि. 14/03/2019 से मुझे सूचित किया गया कि "नर्बदा मेमोरियल पब्लिक स्कूल, सेमरिया रीवा को वर्ष 2019-20 में एक वर्ष की मान्यता नवीनीकरण प्रदाय की गयी है। वर्ष 2018-19 में मान्यता हेतु नस्ती इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गयी है। नर्बदा मेमोरियल पब्लिक स्कूल, सेमरिया को द्वितीय अपील के आधार पर दि. 15/09/2017 को नवीन मान्यता दी गयी है। इस वर्ष की मान्यता की कापी (प्रमाण -पत्र) अभी पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है। हाँ से० नवीन मान्यता इस वर्ष प्रदाय की गयी और हाईस्कूल नवीनीकरण एक वर्ष के लिये की गयी है। संस्था अशासकीय है, शासन द्वारा वित्त पोषित नहीं है। अतः अन्य अभिलेख उपलब्ध करा पाना संभव नहीं है।"

अपीलीय अधिकारी, लोक शिक्षण रीवा द्वारा आदेश दि० 01/08/2019 में लेख किया गया कि "अपीलार्थी के सुनवाई हेतु निर्धारित की गयी तिथि दि. 30/07/2019 को उपस्थित न होने के कारण अपीलार्थी का अपील आवेदन खारिज किया जाता है।"

प्रथम अपीलीय अधिकारी का उक्त निर्णय सर्वथा नियम एवं विधि विरुद्ध है। लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी जान बूझकर

मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग

क्रमांक 3838/SIC/REWA/2019

द्वितीय अपील डॉ। अंजना सिंह, विरुद्ध लोक सूचना अधिकारी, संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण-संचालनालय, रीवा म0प्र0 एवं अपीलार्थी अधिकारी, आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, गोतम नगर, भोपाल म0प्र0 आवेदन दिनांक 14.2.2019 द्वारा चाही गई जानकारी न मिलने बाबत।

जानकारी न दिये जाने के कारण मानसिक पीड़ा के साथ-साथ परिसर से होने वाली आवेदिका के हिस्से की राशि रु0 16,90,833 (सोलह लाख नब्बे हजार आठ सौ तैनीस मात्र) की आर्थिक क्षति हेतु उचित हर्जाना एवं चाही गयी जानकारी दिलाये जाने हेतु यह द्वितीय अपील सूचना आयोग के समक्ष प्रस्तुत है।

3. प्रकरण में श्री एन0 डी0 द्विवेदी तत्कालीन पीआईओ/संयुक्त संचालक द्वारा पालन प्रतिवेदन दि. 08/02/2021 प्रस्तुत किया गया। जिसमें लेख किया गया है कि “अपीलार्थी द्वारा चाही गयी जानकारी के संबंध में उन्हें सूचित किया गया था कि नर्बदा मेमोरियल पब्लिक स्कूल को वर्ष 2019–20 में एक वर्ष की मान्यता दी गयी थी। चूंकि वर्ष 2018–19 में मान्यता नस्ती संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गयी थी, इसलिये नर्बदा मेमोरियल स्कूल सेमरिया को द्वितीय अपील के आधार पर दि. 15/09/2017 को नवीन मान्यता दी गयी। गौरतलब है कि तत्कालीन वर्ष की मान्यता कापी उस वक्त पोर्टल पर उपलब्ध नहीं था। हा.से. नवीन मान्यता तत्कालीन वर्ष प्रदाय की गयी और हाईस्कूल नवीनीकरण एक वर्ष के लिये की गयी थी। चूंकि संस्था अशासकीय व शासन द्वारा वित्त पोषित नहीं थी। अतः अन्य अभिलेख उपलब्ध करा पाना संभव नहीं था।”

श्रीमान मेरे सेवा के समापन में केवल साढ़े माह और शेष है, वर्ष 2017 से मेरे कार्यालय प्रमुख द्वारा दी गयी इस लोक सूचना अधिकारी के दायित्व के निर्वाह में यह पहला अवसर जिसमें आयोग ने मुझसे जवाब चाहा है। अतः मेरा विनम्र अनुरोध है कि मेरे द्वारा दिये गये समस्त बिंदुओं पर विचारण न्यायिक निर्णयों के आलोक में क्षमा करते हुये किसी भी दंडात्मक फैसले से मुक्त रखने की कृपा की जाये।

4. प्रकरण में श्री के0 पी0 तिवारी वर्तमान पीआईओ/संयुक्त संचालक द्वारा पालन प्रतिवेदन दि. 06/02/2021 प्रस्तुत किया गया। जिसमें लेख किया गया है कि “अपीलार्थी द्वारा चाही गयी जानकारी के संदर्भ में जैसे ही उपरोक्त प्रकरण अधोहस्ताक्षरकर्ता के संज्ञान में आया, आते ही कार्यालय में उपलब्ध जानकारी – वर्ष 2019–20 हेतु हाई स्कूल नवीनीकरण एवं हा0 से0 नवीन मान्यता हेतु प्रस्तुत नस्ती में उपलब्ध समस्त अभिलेखों की प्रमाणित छायाप्रति अपीलार्थी को प्रदाय किये जाने हेतु उनके मोबाईल नंबर पर सूचित किया गया। किन्तु अपीलार्थी द्वारा जानकारी लेने के लिये आने से इंकार किया गया।”

अपीलार्थी द्वारा इंकार किये जाने के बाद उपरोक्त जानकारी कार्यालयीन पत्र दि. 05/02/2021 के माध्यम से अपीलार्थी डॉ। अंजना सिंह के पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित की गयी है। अवलोकनार्थ रजिस्टर्ड डाक की रसीद संलग्न है।


5. आयोग के समक्ष यह स्पष्ट है कि प्रकरण में अपीलार्थी डॉ। अंजना सिंह द्वारा चाहे गये समस्त दस्तावेज सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के अनुसार स्वतः प्रदाय किये जाने योग्य है। अपीलार्थी द्वारा चाही

विषय : A - 3838 | रीता | 2029

● डॉ. अंजना सिंह VLS संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण रीता म०७०

गयी जानकारी कार्यालय में उपलब्ध होने के बावजूद अपीलार्थी को प्रदाय नहीं की गयी इससे स्पष्ट है कि तत्कालीन PI0 की मंशा अपीलार्थी को जानकारी प्रदाय करने की नहीं थी।

6. आयोग श्री एन० डी० द्विवेदी तत्कालीन पीआईओ/संयुक्त संचालक संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण रीता (वर्तमान में सहायक संचालक लोक शिक्षण रीता) द्वारा स्पष्ट रूप से अधिनियम की धारा 7 (1) का उल्लंघन करने के कारण उन्हें अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत उनके विरुद्ध राशि रु० 25,000 जुर्माने के लिये कारण बताओ नोटिस जारी करते हुये दिनांक 08/03/2021 की फोन पर व्यक्तिगत सुनवाई नियत करता है। श्री द्विवेदी कारण बताओ नोटिस का जवाब दि. 08/03/2021 की फोन पर व्यक्तिगत सुनवाई से पूर्व आयोग के ई-मेल पते singh.rahu1@mp.gov.in अथवा वाट्सएप नंबर 96445 96064 पर भेजना सुनिश्चित करें।
7. प्रकरण में अपीलार्थी डॉ० अंजना सिंह द्वारा राशि रु० 16,90,833 (सोलह लाख नब्बे हजार आठ सौ तैंतीस मात्र) की आर्थिक क्षति हेतु उचित हर्जाने की मांग की गयी है।
8. आयोग प्रकरण में श्री एन० डी० द्विवेदी तत्कालीन पीआईओ/संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण रीता द्वारा की गयी लापरवाही के लिये सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19 के तहत लोक प्राधिकारी श्री नीरव दीक्षित, संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण रीता को राशि रु० 1,00000 (एक लाख मात्र) हर्जाना राशि (अपीलार्थी का पत्र संलग्न) विभाग के माध्यम से अदा करने के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी करते हुये आदेशित करता है कि वे उक्त संबंध में कारण बताओ नोटिस का जवाब दि. 08/03/2021 की फोन पर व्यक्तिगत सुनवाई से पूर्व आयोग के ई-मेल पते singh.rahu1@mp.gov.in अथवा वाट्सएप नंबर 96445 96064 पर भेजना सुनिश्चित करें।
9. आयोग के आदेश की प्रति लोक प्राधिकारी श्रीमती जयश्री कियावत, आयुक्त, लोक शिक्षण भोपाल को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाये।



(राहुल सिंह)

26/02/2021

राज्य सूचना आयुक्त

30x 49 नी नम्बर की दृष्टि दृष्टि दृष्टि दृष्टि दृष्टि दृष्टि दृष्टि

MSO

प्रायग्रामी—3 10-17-20,000


डॉ. अंजना सिंह विद्युत संचालक लोक शिक्षण शिवि

A-3838/REWA/2019

भोपाल दि.....

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमती जयश्री कियावत,
आयुक्त, लोक शिक्षण,
चेतक ब्रिज के पास, गौतम नगर,
भोपाल - म0प्र0
2. श्री एन0 डी0 द्विवेदी,
तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी / संयुक्त संचालक,
लोक शिक्षण
रीवा - म0प्र0
3. श्री के0 पी0 तिवारी,
लोक सूचना अधिकारी / सहायक संचालक,
लोक शिक्षण
रीवा - म0प्र0
4. श्री इलैया राजा टी,
प्रथम अपीलीय अधिकारी /
कलेक्टर
रीवा - म0प्र0
5. डॉ. अंजना सिंह, अपीलार्थी
पीतांबरा, 24/280, अर्जुन नगर
रीवा - म0प्र0



अनुभाव अधिकारी



मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग

35-B, "सूचना भवन" अरेरा हिल्स, गोपाल 462011
दूरभाष नं. 0755-2460011, 2556879 फैक्स नं. 0755-2556872 EMAIL- singh.rahl@mp.gov.in

अपील क्रं. A-3838/19/IC-7/रीवा/

भोपाल,

दिनांक

26/02/2021

रुपये 25,000 जुर्माने हेतु कारण बताओ नोटिस

अपीलार्थी	उत्तरवादी	
	PIO	FAO
डॉ० अंजना सिंह 93028 11450	श्री एन. डी. द्विवेदी, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी/ संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण रीवा म0प्र0 (वर्तमान में – सहायक संचालक, लोक शिक्षण रीवा म0प्र0) 79745 00028	

1. सूचित किया जाता है कि श्री एन. डी. द्विवेदी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का उल्लंघन करते हुये जानबूझकर असदभावनापूर्वक अपीलकर्ता को जानकारी से वंचित रखा। श्री एन. डी. द्विवेदी को सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20 के तहत राशि रुपये 25,000 के जुर्माने के लिये कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है कि क्यों न उनके विरुद्ध जुर्माने की कार्यवाही आयोग द्वारा की जाये।
2. कारण बताओ नोटिस पर श्री एन. डी. द्विवेदी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु आयोग द्वारा सुनवाई दिनांक 08/03/2021 को नियत की जाती है। सुनवाई वाट्सएप वीडियो कॉल/आडियो कॉल के माध्यम से मा० राज्य सूचना आयुक्त श्री राहुल सिंह द्वारा दिनांक 08/03/2021 को दोपहर 12 से 03 बजे के मध्य की जानी है। उत्तरवादीगण इस पर अपने लिखित उत्तर/पक्ष नियत सुनवाई दिनांक 08/03/2021 से पूर्व आयोग के ई-मेल singh.rahl@mp.gov.in अथवा वाट्सएप नंबर 96445 96064 पर भेजना सुनिश्चित करें।
(सुनवाई में बेहतर ऑडियो के लिये मोबाइल में ईयरफोन का उपयोग करें।)
3. उत्तरवादीगण अपने लिखित उत्तर/पक्ष की एक समान प्रति अपीलार्थी को भी उनके वाट्सएप नंबर पर उपलब्ध करायेंगे।
4. उभयपक्षों द्वारा उनके वाट्सएप पर कारण बताओ नोटिस दिनांक 26/02/2021 को प्राप्त किया गया है। प्राप्ति की स्वीकृति उनके द्वारा फोन पर दी गयी है। बिना कारण सुनवाई के समय उपलब्ध नहीं होने पर उत्तरवादीगणों के खिलाफ आयोग गुण-दोष के आधार पर कार्यवाई करेगा।
(माननीय सूचना आयुक्त महोदय के आदेशानुसार)

अनुभाग अधिकारी

प्रति,

ग्रानरीय राज्य सूचना वाग्मन गांधी
 राज्य सूचना वाग्मन
 अवाल (गो.ग)

विवर - लोक सूचना आवेकारों द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी हारा सूचना के आवेकार आपेक्षा के तहत जानकारी उपलब्ध न कराने से हुए आर्थिक व मानसिक हजारों की संग बात है।

महोदय, उपरोक्त विषयाल्पत्र मित्रेन है कि लोक सूचना आवेकारी कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संग्राम, रीवा (तत्कालीन श्री एन.डी.टिनेडी) तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी (श्री अंजनी कुमार शिंघाटी) संयुक्त संचालक लोक शिक्षण, रीवा संग्राम के ठारा स्थान पर जानकारी उपलब्ध न कराये जाने के कारण हुए आर्थिक नुकसान का घोरा निम्नानुसार है-

① जनवरी २०१४ - दिसंबर २०१४ तक = १२ महीने
 प्रति माह रु ३८५००

कुल १२ माह की रु ३८५०० × १२ = रु ४२५०० × १२ = रु ५०७२५००/-

② अक्टूबर २०१७ - जनवरी २०२१ तक = २५ महीने
 प्रति माह रु १,३४५००

कुल २५ माह की रु १,३४५०० × २५ = रु ३३,६२५००/-

अतः कुल क्षति = रु ५०७२५००/-

कुल आपीलाधी के हिस्से की क्षति

= $\frac{1}{3} (5072500)$

= रु 16,90833.00

इस प्रकार जानबूझकर जानकारी न दिये जाने के कारण मानसिक योग्याके सांख-साध परिसर से होने वाली आवेदिका के हिस्से की क १६,९०,८३३ = ०० (सोलहलाखनब्बे हजार आठ हजार तीन सौ रुपये) की आर्थिक क्षति मिल रही है। आवेदिका को उचित हजारों दिलाये जानेवाली हुए करों।

संधान्यवाद

दिनांक
०९.०२.२०२१

आपीलाधी
श्री

श्री अंजना सिंह

"प्राताम्बरा", २४/२४०
आजनी नगर, रीवा (गो.ग)

मो. ९३०२८११४५०